छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 616/2007

1. श्री प्रकाश चोइथवानी, – अपीलार्थी
तिल्दा केम्प (तिल्दा नेवरा)
पोस्ट–नेवरा, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 12 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रकाश चोईथवानी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायपुर के समक्ष दिनांक 08.01.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं देने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.03.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 13.04.2007 के आदेश द्वारा उक्त अपील अमान्य किये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 25.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब के लिए अनुविभागीय अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 03.05.2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि नजूल विभाग तथा अनुविभागीय कार्यालय द्वारा एक–दूसरे के प्रति जिम्मेदारी टाली जा रही है और प्रकरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा कलेक्टर को भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था, किन्तु उन्होंने भी संभवतः नजूल अधिकारी को निर्देशित कर दिया तथा प्रकरण में संबंधित रिकार्ड अभी–तक नहीं मिल पाया है । प्रकरण में आयोग को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो अंतिम पत्र प्रस्तुत किया है, वह दिनांक 23.12.2008 का है और उसमें यह लिखा है कि दिनांक 13.02.1975 का प्रकरण क्रमांक 32/अ–2000, वर्ष 1974–75 उत्तम बाई बेवा खियालदास का प्रकरण दायर पंजी 1974–75 में दर्ज है, किन्तु उक्त प्रकरण इस कार्यालय द्वारा डाक क्रमांक 393, दिनांक 13.02.1975 को पुनर्वास शाखा को भेजा जाना पाया गया और प्रकरण में पत्र जो जारी हुआ है, उसी अनुसार तहसीलदार, तिल्दा ने भूमि का सीमांकन कराया है । प्रकरण में नजूल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी दोनों ही कह रहे हैं कि उनके द्वारा काफी खोजबीन की गई है और नजूल शाखा में उपलब्ध नहीं होना बताया गया तथा वाचक शाखा ने भी चार्ज लिस्ट में यह प्रकरण प्राप्त नहीं होना पाया है। चूंकि प्रकरण में किसी अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं है और उनके द्वारा प्रकरण ढूंढ़ने का काफी प्रयास किया गया है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में अब कलेक्टर, रायपुर को निर्देशित किया

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

जाता है कि सभी संबंधित अधिकारी एवं अपीलार्थी को बुलाकर प्रकरण को पुनः ढूंढ़ा जाने का प्रसास करें और यदि प्रकरण नहीं मिल पाता है तो चार्ज लिस्ट, आवक–जावक पंजी जिनके आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित हो सकता है, उत्तरदायित्व निर्धारण करें और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है । यदि प्रकरण मिल जाता है तो अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे अन्यथा प्रकरण गुमने के संबंध में पुलिस रिपोर्ट भी कराई जावे और अपीलार्थी से नया आवेदन लेकर और प्रकरण का पुनर्निर्माण किया जाकर आगे की कार्यवाही की जावे तथा अपीलार्थी को समस्त कार्यवाही की सूचना दी जावे । साथ ही प्रकरण में अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com